-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 14.10.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **मिशन शक्ति अभियान 5.0 के क्रम में ब्लाक नरैनी में जागरुकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन । क्षेत्राधिकारी नरैनी द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं से संवाद कर उनकी सुरक्षा एवं सशक्तीकरण हेतु शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं, साइबर अपराधों आदि के बारें में जानकारी देकर किया गया जागरुक ।**

विवरण- महिला सुरक्षा एवं सशक्तीकरण हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान 5.0 के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में पुलिस द्वारा जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज दिनांक 14.10.2025 को थाना नरैनी क्षेत्र के ब्लाक नरैनी में चौपाल का आयोजन किया गया जिसमें क्षेत्राधिकारी नरैनी श्री कृष्णकान्त त्रिपाठी द्वारा बालिकाओं/महिलाओं को एकत्रित कर शासन की विभिन्न योजनाओं और हेल्पलाइन नम्बरों के बारे में जानकारी दी गई एवं उनकी उनकी सुरक्षा के विभिन्न संवैधानिक एवं विधिक प्रावधानों जैसे- लैंगिक उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न आदि के साथ-साथ विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसे- मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, वीमेन पावर लाइन 1090, आपातकालीन पुलिस सेवा 112, चाइल्ड केयर लाइन 1098, साइबर हेल्पलाइन 1930, महिला हेल्पलाइन 181 आदि के बारे में पम्प्लेट वितरित कर जानकारी दी गई और महिलाओं/बालिकाओं को उनके सशक्तीकरण हेतु चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की भी जानकारी दी गई । इस दौरान साइबर अपराधों के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई जिसमें वर्तमान में नवीनतम तरिके से होने वाले साइबर अपराधों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई । जिसमें- केवाईसी अपडेट के नाम पर फर्जी कॉल्स या लिंक भेजकर उपयोगकर्ताओं से उनके निजी और बैंकिंग डिटेल्स मांगी जाती हैं । ओटीपी फ्रॉड जिसमें कॉल या मैसेज के ज़रिए उपयोगकर्ताओं से ओटीपी लेकर उनके बैंक खातों से पैसे ट्रांसफर कर लिए जाते हैं । यूपीआई स्कैम (UPI Scam) जिसमें UPI पेमेंट लिंक या QR कोड स्कैन कराकर खातों से राशि चुरा ली जाती है । सोशल मीडिया हैकिंग जिसमें सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैक कर उनसे फर्जी संदेश भेजकर लोगों से पैसे मंगवाए जाते हैं । फर्जी कॉल्स जिसमें खुद को बैंक अधिकारी, पुलिस या किसी प्रतिष्ठित संस्था का प्रतिनिधि बताकर ठगी की जाती है । फिशिंग ईमेल्स (Phishing Emails) जिसमें आकर्षक ऑफर्स या नौकरी के नाम पर ईमेल भेजकर यूजर्स की निजी जानकारी जुटाई जाती है आदि प्रकार के साइबर अपराधों के बारें में जानकारी दी गई और लोगों को जागरूक किया गया कि वे किसी भी संदिग्ध लिंक, कॉल या मैसेज पर बिना सत्यापन के कोई भी जानकारी साझा न करें । साथ ही साइबर अपराध/ठगी का शिकार होने पर तत्काल नजदीकी पुलिस स्टेशन, साइबर क्राइम पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) या साइबर हेल्पलाइन नम्बर कॉल कर तुरंत शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी गई ।